यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**

आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स शाखा जालोर जरिए शाखा प्रबंधक		घेवरचन्द रावल पुत्र श्री हंसाराम निवासी- प्लोट संख्या 62 रामदेव कालोनी जालोर

विविध प्रकरण संख्या 14/2018

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

.....

अधिवक्ता:-श्री रमेश कुमार सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक:-30.04.2018

1- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

2- प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रार्थी ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स शाखा जालोर जरिये शाखा प्रबन्धक जालोर (सब्सिडियरी बैंकर्स) अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक निगमित निकाय है। यह एक बैंकिगं कम्पनी है। बैंक का प्रधान कार्यालय जयपुर में स्थित है। बैंक की सम्पूर्ण भारत में अनेक शाखाएं है तथा जालोर शाखा के शाखा प्रबन्धक श्री अमनदीप हैं और उन्हे प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। जिससे जालोर शाखा के शाखा प्रबन्धक द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी बैंक से ऋणी घेवरचन्द रावल पुत्र श्री हंसाराम निवासी- प्लोट संख्या 62 रामदेव कालोनी जालोर को ऋण राशि रूपये 5,00,000 का ऋण/ सुविधा स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे जिस पर प्रार्थी बैंक ने ऋण स्वीकृत किया था।

उक्त ऋण निम्न परिसम्पति प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है अचल सम्पति- प्लोट संख्या 62 रहवासी मकान जो रामदेव कोलोनी जालोर में स्थित है जो घेवरचन्द रावल पुत्र श्री हंसाराम निवासी- प्लोट संख्या 62 रामदेव कालोनी जालोर के नाम से है।जिसके पाडौस निम्न प्रकार है। उतर:- प्लोट संख्या 61 मूलाराम, दक्षिण:-मोहनलाल का खेत,पूर्व:- प्लोट संख्या 37 नगाराम मीणा, पश्चिम:- प्लोट का निकाल व रास्ता। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 25.01.2018 को मांग नोटिस वित्तिय आस्तियों का प्रतिभुतिकरण और पूर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड एडी से मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 4,86,259 रूपये दिनांक 31.12.2017 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भुगतान करने के लिये मांग की। राशि 4,86,259 रूपये दिनांक 31.12.2017 एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी से लेना है।बकाया राशि को वसूल करने के लिये बैंक को गिरवीकृत परिसम्पति अचल सम्पति : प्लोट संख्या 62 रहवासी मकान जो रामदेव कोलोनी जालोर में स्थित है जो घेवरचन्द रावल पुत्र श्री हंसाराम निवासी- प्लोट संख्या 62 रामदेव कालोनी जालोर के नाम से है का कब्जा लेकर बिक्री करनी है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है।सम्पति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये सम्पति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।इस हेतु अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है:-धारा 14 (1) के अनुसार:- **जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत** लेनदार **द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो तो प्रतिभूत आस्थियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियन्त्रण में लेने के प्रयोजन के लिये लिखित में जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा और जिला मजिस्ट्रेट उनको किये गये उस अनुरोध पर :-**

क. उस आस्ति और उससे सम्बन्धित दस्तावेजों का कब्जा लेंगे और

ख. प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेंजेगे।

उप-धारा 2 के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदमों को लेंगे या लेवा सकेंगे या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेंगे जो उनकी राय में आवश्यक हो सकेगा। उपधारा 3 इस धारा की अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट का कोई भी कार्य न्यायालय में या किसी अधिकारी के समक्ष प्रश्नांकित नही किया जायेगा।गिरवीकृत सम्पति जो कि आपके क्षैत्राधिकार में का पता निम्न है:- प्लोट संख्या 62 रहवासी मकान जो रामदेव कोलोनी जालोर में स्थित है जो घेवरचन्द रावल पुत्र श्री हंसाराम निवासी- प्लोट संख्या 62 रामदेव कालोनी जालोर के नाम से है ।अत: निवेदन है कि उपरोक्त गिरवीकृत सम्पति को रहने वाले से खाली करवाकर भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार उक्त सम्पति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

3- पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से 5,00,000/-रूपये (रू पांच लाख) का ऋण/ सुविधा स्वीकृत किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये ऑडिनेन्स की धारा 13(2) के तहत् 25.01.2018 को समस्त प्रतिवादी को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनो में 486259/-(अक्षरे रूपये चार लाख छियासी हजार दौ सौ उनसाठ मात्र) जिसमें दिनांक 31.12.2017 तक का ब्याज सम्मिलित हैं। प्रतिवादियों ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के बावजुद बैंक की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है।

वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:-(1) **प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की** सहायता करने के लिये **मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट** या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियो का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत किये जाने की आवश्यकता हो,तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये,लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा,ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगा।

(2) उप धारा (1) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक,जालोर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपतियो, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जालोर को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर